

झारखंड उच्च न्यायालय को मिला एक और न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

11 अक्टूबर, 2021 को राष्ट्रपति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुभाष चंद का झारखंड उच्च न्यायालय में तबादला के लिये अधिसूचना जारी की गई।

प्रमुख बटु

- जस्टिस सुभाष चंद की नयुक्ति के साथ झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 20 हो जाएगी, जबकि झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 25 हैं, अर्थात् 5 पद अभी भी रिक्त हैं।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व 6 अक्टूबर, 2021 को भी झारखंड उच्च न्यायालय में 4 नए जजों की नयुक्ति के लिये राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी तथा 8 अक्टूबर, 2021 को इन जजों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी।
- 8 अक्टूबर, 2021 को अंबुज नाथ, गौतम कुमार चौधरी, नवनीत कुमार, संजय प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवरिजन ने शपथ दलाई थी।
- वदिति हो कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय में नयुक्ति के लिये 5 जजों के नाम की सफारिश की थी।